भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1432
27 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई और निजी भागीदारी

1432. श्री एंटो एन्टोनी :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री विजय कुमार :
डॉ. अमर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी सैन्य उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कोई योजना शुरू करने की पहल की है या पहल करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही निजी फर्मों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ग) क्या स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित रक्षा उपकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक है और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति प्रदान कर रही है ; और

(ड.) क्या सरकार का रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अस्सी प्रतिशत निधि प्रदान करने का विचार है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ड): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

लोक सभा में दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1432 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार ने रक्षा उपकरण के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ सहयोग में निम्नलिखित नीतिगत पहलें की हैं:-

i. रक्षा उपस्कर के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने हेतु रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी)-2016 में अधिप्राप्ति की नई श्रेणी 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित)}' की शुरूआत की गई है । पूंजीगत उपस्कर की अधिप्राप्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है

ii. 'बनाओ' प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया गया है जिसमें भारतीय उद्योग के लिए 90% विकास लागत का वित्त-पोषण सरकार द्वारा करने और 10 करोड़ रूपए से अनधिक विकास लागत वाली परियोजनाओं को सरकार द्वारा वित्त-पोषित मेक-I तथा प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रू0 की अधिप्राप्ति लागत वाली परियोजनाओं को एमएसएमई के लिए आरक्षित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। 3 करोड़ रू0 से अनधिक विकास लागत वाली उद्योग द्वारा वित्तपोषित मेक-II परियोजनाओं तथा प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ का लागत वाली परियोजनाओं की भी एमएसएमई के लिए आरक्षित रखा गया है।

iii. डीडीपी के तहत रक्षा उपस्कर के स्वदेशी विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'बनाओ-II' श्रेणी हेतु अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है जिसमें अनेक उद्योग हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति द्वारा स्वतः सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि लागू किए गए हैं।

iv. अप्रैल, 2018 में रक्षा के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष (आईडीईएक्स) शीर्षक से एक नवोन्मेष पारिप्रणाली शुरू की गई है । आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषकों, रक्षा और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एयरोस्पेस में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिप्रणाली का सृजन करना है और उन्हें अनुदान/निधीयन अन्य सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे रक्षा और अनुसंधान कर सकें जिसकी भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना है।

v. सरकार ने 'सामरिक साझेदारी (एसपी) मॉडल' अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठबंधन करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें ।

vi. एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है और संशोधित नीति के अनुसार, 49 प्रतिशत तक एफडीआई के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है ।

vii. सरकार ने घटकों और रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयुक्त स्पेयर्स के स्वदेशीकरण के लिए मार्च 2019 में एक नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य एक उद्योग पारिप्रणाली का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण घटकों (एलोएज और विशेष सामग्रियों) के स्वदेशीकरण और भारत में विनिर्मित रक्षा उपकरण और प्लेटफार्म के लिए सब-असेम्बली में सक्षम हो ।

viii. सरकार ने देश में आर्थिक विकास और रक्षा उद्योग आधार की वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने का निर्णय लिया है। ये तमिलनाडु में चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सालेम और तिरूचिरापल्ली तक फैले हुए हैं और उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ तक फैले हैं।

ix. तीसरे पक्ष की भागीदारी के साथ निरीक्षण सेवाओं के प्रभावी प्रशासन के लिए और एमएसएमई और निजी क्षेत्र के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, मई 2018 में 'थर्ड पार्टी निरीक्षण सेवाओं के उपयोग' पर एक नीति अधिसूचित की गई।

x. भारतीय आफसेट भागीदारों (आईओपी) और आफसेट घटकों यहां तक कि हस्ताक्षरित संविदाओं में परिवर्तन की अनुमति देकर आफसेट दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है। विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को अब संविदाओं पर हस्ताक्षर करते समय आईओपी और उत्पादनों का ब्यौरा देने की अनुमति है। आफसेट निवर्हन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए मई 2019 में "आफसेट पोर्टल" का सृजन किया गया है।

xi. मंत्रालय ने नवंबर 2018 में 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' नामक एक नई रूपरेखा तैयार की है जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संस्कृति को बढ़ावा देना है।

xii. फरवरी 2018 में मंत्रालय में, निवेश के अवसर प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों और सेक्टर में निवेश के लिए विनियामक आवश्यकताओं सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए रक्षा निवेशक सैल बनाया गया।

xiii. औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अधिकांश घटकों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आईडीआर अधिनियम के तहत दी गई औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को मामले-दर मामला आधार पर इसे तीन साल और आगे बढ़ाने के प्रावधान के साथ 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है।

xiv. रक्षा उत्पादन विभाग ने आंतरिक व्यापार एवं उद्योग प्रोत्साहन विभाग द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के तहत 112 वस्तुओं को अधिसूचित किया है। रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और ओएफबी को उक्त नीति के अनुसार इन वस्तुओं की खरीद करते समय घरेलू निर्माताओं को वरीयता देने की आवश्यकता है।

की गई उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 2014-15 से 2018-19 तक और चालू वर्ष में सितंबर 2019 तक, पूंजीगत खरीद की विभिन्न श्रेणियों के तहत सरकार ने 218 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी है, जिसकी कीमत लगभग 409,244 करोड़ रु. है, जो डीडीपी-2016 के अनुसार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है।

रक्षा उत्पादन में 41 आयुध निर्माणियां, 9 रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयां, 275 लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और ओएफबी एवं डीपीएसयू के 42000 विक्रेता लगे हुए है । रक्षा क्षेत्र की लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की सूची पब्लिक डोमेन में उद्योग एवं आंतरिक नीति संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

(ग): रक्षा मदों को स्वदेशी तरीके से विकसित किया जाता है और सेवा गुणात्मक आवश्यकताओं (एसक्यूआर) के अनुरूप विनिर्मित किया जाता है जिसे सशस्त्र बलों के संक्रियात्मक आवश्यकताओं को तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखकर प्रख्यापित किया जाता है । इस प्रकार से उत्पादित कई रक्षा उपस्करों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात किया जाता है जो स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता का सूचक है ।

(घ): नवीनतम नीति के अनुसार, 49 प्रतिशत तक एफडीआई के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है ।

(ड.): डीडीपी-2016 के अध्याय-III में निर्धारित 'बनाओ' प्रक्रिया की उपश्रेणी बनाओं-I के अनुसार प्रोटोटाइप विकास लागत की 90% का वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा नियंत्रित "प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) " सभी अपेक्षित प्रौद्योगिकीय विकास अवस्थाओं में 10 करोड़ रुपए तक निधियन उपलब्ध कराता है जो सामान्य में कुल परियोजना लागत के ज्यादा से ज्यादा 90% तक तथा साथ ही मामला दर मामला आधार पर 100% निधियन के अधीन है ।

***